न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

(पीठासीन अधिकारी :- संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :- 28/12 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :-

1. नेतराम पुत्र प्यारेलाल खाती जाति जांगिड ब्राहमण (मृतक)

1/1. सन्ता बेवाह स्व0 नेतराम जाति जांगिड ब्राहमण

1/2. मातादीन पुत्र स्व0 नेतराम जाति जांगिड ब्राहमण

1/3. मंगलराम पुत्र नेतराम जाति जांगिड ब्राहमण

निवासीयान ग्राम खानपुर मेवान तह0 किशनगढबास जिला अलवर

1/4. गीता पुत्री स्व0 नेतराम धर्मपत्नि किशोर कुमार जाति जांगिड ब्रहमण निवासी मातौर तह0 मुण्डावर जिला अलवर

1/5. गुडडी पुत्री नेतराम धर्मपत्नि बाबूलाल जाति जांगिड ब्राहमण वासी ग्राम गोठडा तहसील तिजारा जिला अलवर

2. खेमचन्द पुत्र प्यारेलाल खाती जाति जांगिड ब्राहमण निवासी ग्राम खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास जिला अलवर

:------- अपीलांटस

बनाम

1 भवानी पुत्र प्यारेलाल जाति जांगिड ब्राहमण निवासी ग्राम खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास जिला अलवर (मृतक)

1/1. जयनारायण पुत्र भवानी जाति जांगिड ब्राहमण

1/2. त्रिलोकचन्द पुत्र भवानी जाति जांगिड ब्राहमण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

1/3. प्रभूदयाल पुत्र भवानी जाति जांगिड ब्राहमण

1/4. महावीर प्रसाद पुत्र भवानी जाति जांगिड ब्राहमण निवासीयान ग्राम खानपुर मेवा तहसील किशनगढबास जिला अलवर

1/5. कुकन पुत्री भवानी स्त्री किरोडी लाल जाति जांगिड ब्राहमण वासी ग्राम मुण्डाना तहसील तिजारा जिला अलवर ।

:--- असल रेस्पो0

2. तहसीलदार लैण्ड होल्डर किशनगढबास जिला अलवर

:---- तरतीबी रेस्पो

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखंड अधिकारी, किशनगढबास दिनांक 9.2.2004

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता

2. वकील रेस्पो0 :- सर्व श्री रतीराम चौधरी, विजय शर्मा

निर्णय दिनांक 12.9.19

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, किशनगढबास द्वारा दावा संख्या 99/03 में पारित निर्णय दिनांक 9.2.04 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का वाद बाबत इन्द्राज दुरूस्ती डिक्री किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी का वादी 2/3 भाग का खातेदार है । राजस्व रेकार्ड जमाबंदियों में वादी के पिता का नाम रामबक्स गलत दर्ज कर दिया गया,जबकि रामबक्स मिन वादी का दादा था । मिन वादी के पिता का नाम प्यारेलाल है । राजस्व रेकार्ड में भवानी पुत्र प्यारेलाल का अंकन होना चाहिये था, लेकिन सहवन से वादी के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

पिता का नाम रामबक्स दर्ज कर दिया गया । अतः वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत न्यायालय ने उक्त वाद पत्र डिक्री किया है, जिसकी यह अपील है ।
बहस के दौरान विद्वान वकील अपीलांट ने बताया कि हम पक्षकारान में
3 राजीनामा हो गया है । अतः मुताबिक राजीनामा अपील स्वीकार की जावे ।

4 विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि अगर मुताबिक राजीनामा अपील स्वीकार कर ली जाती है तो हमको कोई आपत्ति नहीं है ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा राजीनामा पर गौर किया । चूंकि राजीनामा अनुसार तहत न्यायालय को ही कार्यवाही की जानी है । अतः ऐसी स्थिति में राजीनामा पर विधिक कार्यवाही हेतु प्रकरण रिमांड किया जाना उचित समझते हैं ।

6 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 9.2.2004 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमांड किया जाता है कि वो प्रकरण में प्रस्तुत राजीनामा पर आदेश 23 नियम 3 सी0 पी0 सी0 में दिये गये प्रावधानों अनुसार कार्यवाही करते हुये पुनः न्यायसंगत निर्णय पारित करें ! उभयपक्ष वास्ते सुनवाई तहत न्यायालय में दिनांक 15.10.2019 को उपस्थित हों ।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । अपील पत्रावली में प्रस्तुत मूल राजीनामा निर्णय की प्रति के साथ तहत न्यायालय को भिजवाया जावे तथा प्रमाणित प्रति अपील पत्रावली में संलग्न की जावे ।

(संजू शर्मा)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner